निरीक्षण टिप्पणी

कार्यालय :- जिला निर्वाचन कार्यालय, कैमूर

निरीक्षण की तिथि:- 28.03.2005

डॉ. बी. राजेन्दर, भा.प्र.से.,
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-
जिलाधिकारी, कैमूर (भभुआ)

डा0 बी0 राजेन्दर,भा.प्र.से., जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह– जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) द्वारा दिनांक–28.03.2005 को जिला निर्वाचन शाखा का किये गये निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी

<u>सामान्य सूचनाः–</u>

भभुआ जिले का सृजन सरकार की अधिसूचना संख्या–16 जि॰ पू॰2–30–19046 दिनांक 13.03.1991 के द्वारा रोहतास जिला से विभाजित होकर हुआ है । पुनः सरकार की अधिसूचना संख्या – 57 दिनांक 16.03.1994 से भभुआ जिला का नामाकरण कैमूर जिला के रूप में किया गया। कैमूरा जिला का कार्य स्वतंत्र रूप से माह अगस्त 1991 से प्रारम्भ हुआ । कैमूर जिला मुख्यालय भभुआ रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर दक्षिण दिशा में अवस्थित है । आवागमन के लिए राष्ट्रीय उच्च पथ मोहनियॉ से पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्मित पक्की सड़क मार्ग के माध्यम से बस सेवा उपलब्ध है । जिला मुख्यालय से राज्य मुख्यालय की दुरी लगभग 190 किलोमीटर है ।

भौगोलिक मापदण्ड के अनुसार जिला का कुल क्षेत्रफल 340441 है । भारत की जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या – 1284575 है, जिसमें पुरूष 673556 एवं महिलाएँ 611019 हैं । आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति 208558 एवं अनुसूचित जन जाति 19378 है । अन्य की संख्या 1056539 है । कैमूर जिले में दो अनुमण्डल हैं – भभुआ एवं मोहनियॉ ।

1. भभुआ अनुमण्डल अन्तर्गत निम्न अंचल है – भभुआ, भगवानपुर, अधौरा, रामपुर,चैनपुर एवं चाँद
2. मोहनियॉ अनुमण्डल अन्तर्गत निम्न अंचल है – मोहनियॉ, दुर्गावती, कुदरा, रामगढ़ एवं नुआँव।

जिला अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों की संख्या – 764, मध्य विद्यालय– 141, उच्च विद्यालय 52, एवं महाविद्यालय 9 है । भभुआ सदर अस्पताल के अतिरिक्त तीन रेपफरल अस्पताल यथा अधौरा, मोहनियॉ एवं रामगढ़ में कार्यरत है ।

इस जिला के अन्तर्गत पुरातात्विक और धार्मिक महत्व के भी स्थल हैं । भगवानपुर प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम– रामगढ़ के पवरा मौजा में माँ मुण्डेश्वरी एवं पुरातत्व विभाग का संग्रहालय है । चैनपुर में बख्तियार खिलजी का मकबरा, चाँद के पतेसर में वुद्व की प्राचीन मूर्ति एवं चैनपुर के मदुरना पहाड़ी पर माँ चण्डेश्वरी का स्थान अवस्थित है । इस जिले में अनेक पहाड़ी नदियॉ है । मुख्य रूप से कर्मनाशा नदी राज्य विभाजन का काम करती है ।

डा॰ बी॰ राजेन्दर ;भा॰प्र॰से. जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह जिला पदाधिकारी कैमूर के पद पर दिनांक 17.1.2004 से पदस्थापित हैं ।

संसदीय एवं विधान सभा क्षेत्र :–

35 सासाराम ;अ० जा० संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मुख्यालय कैमूर जिला है । संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत छः विधान ... जिनमें 210 रामगढ़, 212 भभुआ, 213 चैनपुर विधान सभा क्षेत्र पूर्णतः कैमूर जिले में एवं 214 सासाराम तथा 215 चेनारी ;अ० ... सभा क्षेत्रा पूर्णतः रोहतास जिले में हैं । 210 रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 179 मतदान केन्द्र कैमूर जिला में एवं 9 मतदान के... जिले में पड़ते हैं। 211 मोहनियाँ ;अ० जा० विधान सभा क्षेत्र के 166 मतदान केन्द्र कैमूर जिले में एवं 30 मतदान केन्द्र रोहतास जि... हैं ।

35 सासाराम अ० जा० संसदीय क्षेत्र

सासाराम (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्रों से संबंधित पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :–

विधान सभा क्षेत्र का नाम एवं सं०	कुल मतदान केन्द्र की सं०	संबंधित जिले का नाम
210 रामगढ़	188 179 9	कैमूर रोहतास कैमूर रोहतास
211 मोहनियाँ ;अ० जा०	196 166 30	कैमूर रोहतास कैमूर रोहतास
212 भभुआ	231	कैमूर
213 चैनपुर	176	कैमूर
214 सासाराम	231	रोहतास
215 चेनारी ;अ० जा०	214	रोहतास
योगः–	1236	

प्रभार स्थापनाः–

विहार सरकार से जिला निवार्चन शाखा कैमूर ;भभुआ के कार्यालय के लिए कोई पद स्वीकृत नहीं है ।

श्री सुधाकर प्रसाद अवर निर्वाचन पदाधिकारी भभुआ अनुमण्डल प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में 11.3.1999 ... प्रतिनियुक्त थे सम्प्रति स्थानांतरण होने स्वरूप विहारशरीफ अनुमंडल के लिए विरमित किये जा चुकें है।

श्री संजय कुमार, उप समाहर्त्ता, कैमूर अपने दायित्वों के अतिरिक्त उप निर्वाचन पदाध्किारी के रूप में दिनांक 10.01.2005 से कार्यरत है। इस शाखा के वरीय प्रभार में श्री सुरेन्द्र कुमार सिन्हा अपर समाहर्त्ता कैमूर हैं ।

इस शाखा में प्रधान लिपिक सहित तीन लिपिक एवं एक अनुसेवक कार्यरत हैं जिनकी विवरणी निम्नवत है –

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	पदस्थापना	गृह प्रखण्ड
1	श्री रामशरण प्रसाद	प्रधान लिपिक	24.02.2005	नूरसराय ;नालन्दा
2	श्री नंद किशोर प्रसाद	लिपिक ;नाजीर	24.02.2005	तथैव
3	श्री विजय कुमार	लिपिक	17.9.2001	लौरिया प० चम्पारण
4	श्री कृपाल सिंह	अनुसेवक	जुलाई1999	भभुआ

इसके पूर्व श्री जर्नादन पाण्डेय, प्रधान लिपिक, के रूप में एवं श्री विजेन्द्र नाथ शुक्ल, लिपिक सह नाजिर, के रूप में प्रतिनियुक्त थे जो वर्तमान समय में निलम्बित है।

चूंकि जिला निर्वाचन शाखा के लिए सरकार से कोई पद स्वीकृत नहीं है अतः उपरोक्त सभी लिपिक एवं अनुसेवक अपने मूल पदस्थापन कार्यालय से अपना वेतन लेते हैं ।

पूर्व निरीक्षण :– दिनांक 10.08.2004 को श्री के0 सी0 साहा0, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह– सरकार सचिव के द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संभाग का निरीक्षण किया गया है। जिनकी निरीक्षण टिप्पणी संचिका में संधारित है । निदेश दिया गया कि निरीक्षण टिप्पणी को रक्षी संचिका में संधारित किया जाय ।

कार्यालय व्यवस्था :– समाहरणालय कैमूर ;भभुआ के परिसर में स्थित जिला कोषागार के उपरी तल पर निर्वाचन का कार्यालय स्थित है । कार्यालय के ही बगल में भंडार एवं मतदान के उपयोग में लाये गये ई० वी० एम० वज्रगृह स्थित है ।

पत्राचारः– बिहार अभिलेख दस्तक के नियम 8;(खण्ड1) एवं ;2 में निहित प्रावधानों के अनुसार पत्राचार के लिए प्राप्त एवं निर्गत पत्रों के लिए विहित प्रपत्र में पंजी संधारित है । विगत तीन वर्षों के आगत एवं निर्गत पत्रों की विवरणी निम्न है।

वर्ष	आगत पत्रों की संख्या	निर्गत पत्रों की संख्या
2002	200	316
2003	288	353
2004	1098	1285
2005 अबतक	300	433

कर्मपुस्तः– इस कार्यालय में पदस्थापित सभी लिपिकों के लिए अलग अलग कर्मपुस्त संधारित की गयी है ।

रक्षी संचिकाः– बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 60 से 120 में निहित प्रावधानों के अनुसार रक्षी संचिकाओं का संधारण किया है।

आवंटनः–

आवंटन एवं व्यय की विवरणी वर्ष – 2004–05

मुख्य शीर्ष 2015 निर्वाचन –105 क्रमांक का निर्वाचन 0001 – कार्यालय–व्यय के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन एवं व्यय :– वर्ष 04–05

1. कार्यालय व्ययः– वर्ष 04–05

आवंटन	व्यय	अवशेष
6485000.00	6485000.00	शून्य

2. यात्रा व्यय –05

आवंटन	व्यय	अवशेष
25,21,000 अतिरिक्त आवंटन – 22485.00	25,21,000 22485.00	शून्य

3. 2055 पुलिस – 800 अन्य व्यय 0001 प्रतिनियुक्त अर्धसैनिक बलों पर व्यय
कार्यालय व्ययः– वर्ष 04–05

आवंटन	व्यय	अवशेष
2,00,000	2,00,000	शून्य

4. वाहन एवं इंधन पर व्ययः–

आवंटन	व्यय	अवशेष
1,75,000	1,75,000	शून्य

5. वर्दी आपूर्ति हेतु व्ययः–

आवंटन	व्यय	अवशेष
1500	1500	शून्य

6. शीर्ष 2015 निर्वाचन –102 निर्वाचन अधिकारी – 0001 मुख्यालय प्रभार एवं सामान्य स्थापना– वर्ष 04–05

आवंटनः–

वेतन –	मकान भत्ता	वर्दी–	चि॰ म॰	जी॰ या॰ भत्ता	योग
1,96,032	8804	330	1800	7,55,076	9,62,042

व्ययः– माह जुलाई – 04 तक

वेतन	जी॰ या॰ भत्ता	योग
46,213	22,726	68,939

7. शीर्ष – 2015 निर्वाचन – 103 निर्वाचक सूचियों की तैयारी और मुद्रण – 0001 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची के कार्यालय कार्य के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में राशि का आवंटनः–

मद	आवंटन	व्यय	अवशेष
कार्यालय व्यय	560000.00	560000.00	शून्य
कम्प्यूटर क्रय	80000.00	निकासी – 80000.00	शून्य

8. शीर्ष – 2015 निर्वाचन–106 विधान सभा आम चुनाव 2005 अन्तर्गत प्राप्त आवंटन का व्यय विवरणी :–

(क) कार्यालय व्यय :–

आवंटन	व्यय	अवशेष
7115000.00	6315000.00	800000.00

शेष राशि की निकासी की जा रही है।

(ख) यात्रा व्यय :–

आवंटन	व्यय	अवशेष
3321000.00	3321000.00	शून्य

पूर्व वर्ष के बकाया यात्रा भत्ता निकासी हेतु अतिरिक्त आवंटनः–

आवंटन	व्यय	अवशेष
16685.00	16685.00	शून्य

(9) बिहार विधान सभा चुनाव 2005 में शीर्ष 2055 पुलीस मद में प्राप्त आवंटन :–

मद	आवंटन	निकासी की गई राशि	अब तक संभावित व्यय	अवशेष
ईध्न एवं वाहन का रख–रखाव	1100000.00	1100000.00	940809.55	159190.45
कार्यालय व्यय	400000.00	400000.00	400000.00	शून्य

वर्ष 2004–05 में गया शिक्षक /स्नातक निर्वाचन क्षेत्र खण्ड 11–8000 आक्समिकता निधि 2015 निर्वाचन भाग सं0 06 कोड सं0 एन –2015 001030002

(क) कार्यालय व्यय:–

आवंटन	व्यय	अवशेष
25000.00	25000.00	शून्य

(ख) यात्रा व्यय:–

आवंटन	व्यय	प्रत्यार्पित
2000.00	1785.00	215.00

(10)पंजी संधारण :– बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के तहत कार्यालय के लिये विभिन्न पंजियों का संधारण किया गया है जो इस प्रकार है:–

1. उपस्थिति पंजी
2. अवकाश पंजी
3. आवंटन पंजी
4. अनुक्रमणी पंजी
5. तेल निर्गत संबंधी पंजी
6. बैठक पंजी
7. लोक सभा/विधान सभा प्रश्न पंजी

8. सभी सहायकों का अलग अलग प्रभार पंजी
9. कर्तव्य तालिका पंजी
10. शीर्षवार रोकड़ पंजी
11. अग्रिम पंजी
12. अग्रिम रोकड़ पंजी
13. यात्राा भुगतान पंजी
14. वाहन भुगतान पंजी
15. रेमीटेन्स पंजी
16. कन्टीजेन्ट पंजी
17. अभिश्रव पंजी
18. विपत्रा वाहन पंजी
19. कोषागार आवंटन पंजी
20. बिल बूक
21. एन आर पंजी
22. चेक बूक पंजी
23. स्टेशनरी भण्डार पंजी
24. चेक भण्डार पंजी
25. स्थायी भण्डार पंजी
26. आगत पंजी
27. निर्गत पंजी
28. चपरासी बही
29. सभी सहायकों का लॉग बूक

(11)फोटोग्राफी :— फोटोग्राफी अभियान के दौरान खीचे गये फोटो पहचान पत्रों की स्थिति निम्न प्रकार है:—

क्रम सं॰	विधन सभा क्षेत्र का नाम एवं क्रम सं॰	1.1.2004के अनुसार निर्वाचकों की सं॰	त्रुटिरहित वितरित फोटोपहचान पत्र की सं0	प्रतिशत
1.	210 रामगढ़	190687	145856	76.48
2.	211 मोहनियां	209904	149877	71.40
3.	212 भभुआ	230893	185925	80.52
4.	213 चैनपुर	180952	145663	80.49
	योगः	8,12,436	627321	

उक्त प्रतिवेदन दिनांक 04.12.2004 तक वितरित की गई फोटो पहचान पत्र एवं पूर्व में वितरित फोटो पहचान पत्र के आधर पर प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

(12)विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण—2005:— कैमूर जिले में चार विधान सभा क्षेत्र 210 रामगढ़ एवं 211 मोहनियां ;(अ॰ जा॰), 212 भभुआ तथा 213 चैनपुर हैं। 3.1.2005 को अहर्त्ता तिथि मानकर इन विधान सभा क्षेत्रों में निर्वाचकों की संख्या निम्न प्रकार है:—

विधन सभा क्षेत्र का नाम	सामान्य पुरूष	सामान्य महिला	कुल निर्वाचकों की सं॰	सेवा पुरूष	सेवा महिला	कुल सेवा मतदाता सं॰	सर्व योग
210 रामगढ़	106683	94585	201268	471	286	757	202025
211 मोहनियां	118481	104153	222634	178	91	269	222903
212 भभुआ	128996	113261	242257	206	113	319	242576
213 चैनपुर	100034	89708	189742	125	73	198	189940
योग—	454194	401707	855901	980	563	1543	857444

(13) निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी–

कैमूर जिले स्थित चार विधान सभा क्षेत्रों में 210 रामगढ़ एवं 211मोहनियॉ ;अ॰ जा॰द्ध के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अनु पदाधिकारी मोहनियॉ एवं 212 भभुआ, 213 चैनपुर विधान सभा क्षेत्रा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अनुमण्डल पदाधिकारी भभुआ हैं।

(14) सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी–

पुनरीक्षण कार्य के लिए सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी की स्थिति निम्न प्रकार है

क्र0सं0	विधान सभा क्षेत्र का नाम	सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1.	210 रामगढ़	1.द्वितीयपदाधिकारी मोहनियां अनुमण्डल 2.अंचल अधिकारी रामगढ़ 3.अंचल अधिकारी दुर्गावती	 रिक्त रिक्त
2.	211 मोहनियां,अ॰ जा॰	1. उपसमाहर्त्ता भूमि सूधार मोहनियां 2. अंचल अधिकारी मोहनियां 3. अंचल अधिकारी कुदरा	 रिक्त
3.	212 भभुआ	1.अंचल अधिकारी भभुआ 2.अंचल अधिकारी भगवानपुर 3.अंचल अधिकारी अधौरा	रिक्त रिक्त रिक्त
4.	213 चैनपुर	1. द्वितीयदण्डाधिकारीभभुआ अनुमण्डल 2. अंचल अधिकारी चैनपुर 3. अंचल अधिकारी चॉंद	 रिक्त रिक्त

(15) इ॰ वी॰ एम॰–

निर्वाचन शाखा द्वारा संधरित ई0वी0एम0 का विवरणी परिशिष्ट 'क' पर धारित है ।

<u>(16) गया शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सांख्यिकी</u>

गया शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सांख्यिकी का प्रतिवेदन विवरणी परिशिष्ट 'ख' पर धारित है।

(17) निर्वाचन नजारतः–

इस शाखा में निर्वाचन का नजारत संधरित है। नजारत में निम्न सहायक रोकड़ पंजी है जिसमें दिनांक 12.03.05 के अंत शेष राशि शीर्षवार इस प्रकार हैः–

1.	लोक सभा निर्वाचन	अंत शेष की राशि	1636826.39
2.	विधन सभा निर्वाचन	अंत शेष की राशि	2564513.51
3.	2055 पुलिस	अंत शेष की राशि	1501289.00
4.	गया शिक्षक/स्नातक एवं विधान मंडल निर्वाचन क्षेत्र	अंत शेष की राशि	6312702.52
		योगः	12015331.42

(18) निर्वाचन शाखा द्वारा निर्गत किये जानेवाले चेक

निर्वाचन शाखा में विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं के नाम से जो चेक काटा गया है उन चेकों को संबंधित व्यक्तियों एवं संस्था को उपलव्ध कराने की स्थिति की समीक्षा की गयी और पाया गया कि मॉ बैष्णवी सर्विस स्टेशन के नाम का दो चेक 15188/–रूपये का दिनांक–08.03.2005 को काटा गया चेक एवं इसी संस्था के नाम से दिनांक–02.03.2005 को काटा गया 5322/–रूपये का चेक अभी जिला निर्वाचन शाखा के नाजिर द्वारा आज निरीक्षण की तिथि तक अपने पास रखा गया है । इसके अतिरिक्त श्री अशोक सिंह पटेल के नाम पर 3205/–रूपये,का चेक एवं श्री रामायण सिंह के नाम पर दिनांक–3.3.2005 को,श्री जयप्रकाश सिंह के नाम पर दिनांक–3.3.2005 को श्री किशोरी साव के नाम से दिनांक–3.3.2005 को,श्री कन्हैया सिंह के नाम पर दिनांक–22.02.2005को,श्रीमती गीता देवी के नाम से दिनांक–27.02.2005 को 6210/–रूपये का,श्री राजाराम गुप्ता के नाम पर दिनांक–27.2.2005 को 42/–रूपये का ,श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह के नाम पर दिनांक–27.02.2005 को 2890/–रूपये का जो चेक काटा गया है उसे अभी तक संबंधित व्यक्तियों अथवा संस्था को नहीं दिया जाना गलत मन्शा या निकम्मापन हो सकता है । अधोहस्ताक्षरी को दूरभाष पर इस भुगतान के संबंध में बहुत सारे लोग स्मारित करते रहते है । अधोहस्ताक्षरी का चेक पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद संबंधित को उपलव्ध नहीं कराना संवेदनशीलता का अभाव दर्शाता है । संबंधित नाजिर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करें तथा प्रभारी पदाधिकारी जिला निर्वाचन इसका अनुश्रवण सही ढ़ंग से नहीं करने के संबंध में स्थिति स्पष्ट करें ।

इसके अलावें लगभग 15 चेकों पर दिनांक–22.03.2005 को हस्ताक्षर किया गया है जिसे संबंधित को अभी तक नहीं दिया गया है । यह बहुत ही गम्भीर विषय है । आदेश दिया जाता है कि दो दिन के अन्दर ये सभी चेक संबंधित को हस्तगत कराकर अनुपालन प्रतिवेदन 48 घंटें के अन्दर उप समाहर्त्ता प्रभारी अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेगें ।

अग्रिम का समायोजन

श्री सुधाकर प्रसाद प्रसाद तत्कालीन अवर निर्वाचन पदाधिकारी–सह–उप निर्वाचन पदाधिकारी भभुआ के द्वारा रोकड़ ... प्रभार नहीं दिये जाने के फलस्वरूप रोकड़ बही अद्यतन नहीं है । जिसके कारण रोकड़ बही की समीक्षा नहीं की जा सकी । उनको ... देने हेतु अलग से पत्र लिखा जा रहा है ।

निर्वाचन शाखा के रोकड़ बही का संधारण एवं अग्रिम समायोजन इत्यादि से संबंधित निम्नांकित निदेश दिये जाते है :-

1. लोक सभा निर्वाचन 2015 उप शीर्ष 101
विधान सभा निर्वाचन 2015 उप शीर्ष 102
अर्द्ध सैनिक बल 2055
गया निर्वाचन स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
मतदाता सूची पुनरीक्षण के अन्तर्गत
फोटो पहचान पत्र निर्माण के लिए

विगत तीन वर्षों में उक्त मद में जो राशि प्राप्त हुई है उसके आवंटन पत्र की छाया प्रति के साथ संकलित करें एवं निकासी ... नम्बर के आधार के साथ प्रस्तुत करें ।

2. उपरोक्त मद में व्यय की गयी राशि की विवरणी व्यय की गयी राशि एवं अवशेष राशि का व्योरा प्रस्तुत करें ।
3. अग्रिम :–उपरोक्त मद में से अग्रिम के रूप में जो राशि दी गयी है उसकी पूरी सूची बनाकर दिनांक–10.04.2005 तक ... करें, एवं वसूली हेतु जिला पदाधिकारी के हस्ताक्षर से सूचना निर्गत करें जिसमें यह अंकित रहे कि उनके द्वारा अ... जमा करने की राशि के साथ दिनांक–12.04.2005 को समाहरणालय के सभा कक्ष में 03.30 बजे अपराह्न में उपस्थि... हेतु पत्र का प्रारूप प्रस्तुत करें ।
4. अभिश्रव के रूप में जो राशि पड़ी हुई है उसको वर्षवार,शीर्षवार वर्गीकरण करें एवं उपलब्ध आवंटन से समायोजित क... यदि अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होतो संबंधित शीर्ष में आवंटन की मांग करने हेतु पत्र प्रस्तुत करें ।
5. वाहन मद में मुआवजा हेतु जो राशि भुगतान हेतु लम्बित है संबंधित व्यक्ति के नाम पर चेक बनाकर 15 दिनों के ... प्रस्तुत करें और इस संबंध में समाचार पत्रों में भी इसकी सूचना दी जाय कि अगर किसी वाहन का भुगतान लम्बित ... आकर प्राप्त कर लें ।
6. यात्रा भत्ता मद की जो राशि अग्रिम के रूप में दी गयी है उसके समायोजन हेतु सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क... लिखा गया है उसके अनुपालन में जो पत्र प्राप्त हुआ है उसको संचिका में रखकर शेष के लिए पुनः स्मार दिया जाय । 15 दिन के अन्दर राशि नहीं लौटाई जाती है तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाय ।

7. विगत विधान सभा चुनाव में कुछ कमचारी के निर्वाचन कार्य से भाग जाने के कारण अनुपस्थित पाये गये थे उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु संचिका प्रस्तुत करें ताकि भविष्य में आनेवाले निर्वाचन कार्य में कर्मचारियों की उपस्थिति अच्छी रहे और निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में शिथिलता नहीं बरतें ।

8. निर्वाचन शाखा में लेखा जानकार तीन सहायकों की प्रखण्ड अथवा अंचल से प्रतिनियुक्त किया जाय ताकि यह कार्य ससमय सम्पन्न किया जा सके ।

9. अपने अधीनस्थ प्रधान सहायक सह नाजिर को ठंढे दिमाग से प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देने का कार्य कराया जाय ताकि इसमें गुणात्मक सुधार आ सके और प्रोत्साहित,समयसीमा एवं समय प्रबंध के संबंध में भी बताया जाय ।

10. लोकसभा निर्वाचन/विधान सभा निर्वाचन/फोटो पहचान पत्र/संक्षिप्त पुनरीक्षण या अन्य किसी मद में निर्वाचन शाखा से अगर कोई भुगतान हेतु मामला लम्बित है तो एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें उसके बाद प्रमाण पत्र दें कि अब कोई मामला भुगतान हेतु लम्बित नहीं है अन्यथा बाद में भुगतान हेतु लम्बित पाये जाने पर उसे गम्भीरता से लिया जायेगा । यदि भुगतान हेतु मामला लम्बित है तो उसे समाचार पत्रों में निकाला जाय और भुगतान सुनिश्चित किया जाय । 25 अप्रैल 2005 तक लेखा जोखा तैयार कर राशि को प्रत्यार्पित कर देना है एवं व्यय विवरणी भेजना है ।

11. कम्प्युटर खरीदने के लिए समाचार पत्र में जो विज्ञापन निकाला गया है उसकी भी प्रकिया पूरी कर ली जाय ।

12. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं सभी पेट्रोल पम्प मालिकों की एक बैठक आयोजित की जाय जिसमें उन्हें दी गयी राशि की समीक्षा की जायेगी।

13. अनुमण्डल पदाधिकारियों एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को विभिन्न मदों में दी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने हेतु पत्र लिखा जाय ।

14. अभी तक पूर्व निर्धारित दर पर लेखन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। पूर्व से निर्धारित दर बहुत कम है और इस दर पर सामग्रियों की आपूर्ति प्राधिकृत अभिकर्त्ताओं द्वारा नहीं की जाती है जिसके चलते व्यवहारिक कठिनाई हो रही है ।अतः समाहरणालय में उपयोग की जानेवाली विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की सूची बना ली जाय एवं इसके लिए दर निर्धारण हेतु विज्ञापन निकाला जाय तथा इसको समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु विज्ञापन का प्रारूप प्रस्तुत करें ।

15. भंडार में जो सामग्रियां रखी गयी है उसकी सूची बना ली जाय ।

16. प्रायः ऐसा देखा जाता है कि फ़ैक्स के माध्यम से सरकार के स्तर से प्राप्त होनेवाले पत्रों को यथावत संचिका में रख दिया जाता है । जहां पर वे फैक्स रखे जाते है कुछ समय के बाद उसपर लिखे गये शब्द मिट जाते है और वह कागज सादा हो जाता है । जिसके कारण सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी नहीं हो पाती है । अतः आदेश दिया जाता है कि महत्वपूर्ण आदेशों एवं निदेशों की छाया प्रति कराकर संचिका में रखा जाय ताकि कभी भी आवश्यकता पडने पर उसका अवलोकन किया जा सके और यथोचित निर्णय लिया जा सके ।

17. संचिका संख्या–XII-16/2005 का अवलोकन किया । इस संचिका पर विधान सभा निर्वाचन 2005 विधि व्यवस्था कन्ट्रोल ... संचिका के 138 पृष्ठ ... गृहरक्षकों की प्रतिनियुक्ति लिखा हुआ है । संचिका के पत्राचार भाग के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि संचिका के 138 पृष्ठ ... विधान सभा निर्वा... कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल भभुआ के पत्र संख्या 103 दिनांक–17.02.2005 के द्वारा विधान सभा निर्वा... 2005 के अवसर पर प्राप्त कराये अग्रिम 36800/– रूपया के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में लिखा हुआ है । संचिका ... विषय एवं इस पत्र में कोई तालमेल नहीं है । यह बहुत ही गम्भीर है । इसतरह के महत्वपूर्ण पत्रों पर ध्यान नहीं दिये जाने के का... माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम में अवमानना मामलों का सामना करना पड़ता है और प्रशासन पर से विश्वास समाप्त हो ज... है । प्रधान सहायक निर्वाचन शाखा को निदेश दिया जाता है कि विषयवार पत्रों को अलग कर लें ।

(19) भण्डार– निर्वाचन शाखा का भण्डार निर्वाचन कार्यालय के बगल में ही अवस्थित है। भण्डार से संबंधित भण्डार पंजी संधरित है। लेकिन ... पंजी में सभी सामग्रियों की अद्यतन प्रविष्टि अंकित नहीं की गयी है । निदेश दिया गया कि अद्यतन प्रविष्टि दर्ज करें ।

4.4.2005

(बी0 राजेन्दर)
जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–
जिला पदाधिकारी, कैमूर(भभुआ)

ज्ञापांक– 624/गो0 दिनांक– 04.04.2005

प्रतिलिपि प्रभारी पदाधिकारी जिला निर्वाचन शाखा कैमूर(भभुआ) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि अपर समाहर्त्ता कैमूर(भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4.4.2005

(बी0 राजेन्दर)
जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–
जिला पदाधिकारी, कैमूर(भभुआ)

ज्ञापांक– 624/गो0 दिनांक– 04.04.2005

प्रतिलिपि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आयुक्त,पटना प्रमण्डल पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

4.4.2005

(बी0 राजेन्दर)
जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–
जिला पदाधिकारी, कैमूर(भभुआ)

परिशिष्ट- "क"

जिले में आवंटित ई0 वी0 एम0 की संख्या								चुनाव के पश्चात कार्यरत अवस्था में बज्र गृह में सुरक्षित रूप से भण्डारित		चुनाव के पूर्व /दौरान/मतगणना के समय पाये गए क्षतिग्रस्त/दोषपूर्ण ई0 वी0एम0 की कुल संख्या				अभ्युक्ति
...ज्य मुख्यालय		यु0पी0 से0			कुल			बैलेटिंग यूनिट	कन्ट्रोल यूनिट	क्षतिग्रस्त ई0वी0एम0 की संख्या		दोषपूर्ण ई0वी0एम0 की संख्या		
कं.यू.	कुल	बै.यू.	कं.यू.	कुल	बै.यू.	कं.यू.	कुल			(वी.यू.)	(सी.यू.)	(वी.यू.)	(सी.यू.)	
1500 (पूर्व में)	3000	Nil	Nil	Nil	1809	1520	3329	1561	1283	3	3	14 (चुनाव के दौरान)	13 (चुनावके दौरान)	200 ई0वी0एम0 जिला रोहतास (सासाराम) को भेजा गया है
20 (प्रशिक्षण)	40											17 (सिलिंग के दौरान)	9 (सिलिंग के दौरान)	
0	289											14 (पूर्व में)	12 (पूर्व में)	
1520	3329	0	0	0	1809	1520	3329	1561	1283	3	3	45	34	

02 गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की सांख्यिकी प्रतिवेदन

भाग संख्या	प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार मतदाताओं की कुल संख्या			मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के अनुसार मतदाताओं की संख्या						कुल मतदाताओं की संख्या		
				परिवर्द्धन			विलोपन					
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	[illegible]
30 मोहनियाँ	833	74	907	39	1	40	5	1	6	867	74	941
31 (रामगढ़)	447	28	475	12	0	12	0	0	0	459	28	487
32 (नुऑव)	192	6	198	4	0	4	0	0	0	196	6	[illegible]
33 (दुर्गावती)	210	3	213	75	3	78	0	0	0	285	6	[illegible]
34 (कुदरा)	553	48	601	27	6	33	2	0	2	578	54	[illegible]
35 (नमुआ ग्रामीण)	560	29	589	23	4	27	2	0	2	581	33	[illegible]
36 (नमुआ नगरपालिका)	638	77	715	16	4	20	0	0	0	654	81	[illegible]
37 (भगवानुपर)	285	21	306	16	2	18	0	0	0	301	23	[illegible]
38 (रामपुर)	134	9	143	11	1	12	0	0	0	145	10	[illegible]
39 (चैनपुर)	135	9	144	9	0	9	1	0	1	143	9	[illegible]
40 (अधौरा)	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	[illegible]
41 (चॉद)	221	14	235	3	0	3	1	0	1	223	14	[illegible]
कुल योग:–	4233	318	4551	235	21	256	11	1	12	4457	338	[illegible]

02 गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की सांख्यिकी प्रतिवेदन

परिशिष्ट–''ख''

भाग संख्या	प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार मतदाताओं की कुल संख्या			मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के अनुसार मतदाताओं की संख्या						कुल मतदाताओं की संख्या		
				परिवर्द्धन			विलोपन					
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30 मोहनियाँ	833	74	907	39	1	40	5	1	6	867	74	941
31 (रामगढ़)	447	28	475	12	0	12	0	0	0	459	28	487
32 (नुआँव)	192	6	198	4	0	4	0	0	0	196	6	202
33 (दुर्गावती)	210	3	213	75	3	78	0	0	0	285	6	291
34 (कुदरा)	553	48	601	27	6	33	2	0	2	578	54	632
35 (भभुआ ग्रामीण)	560	29	589	23	4	27	2	0	2	581	33	614
36 (भभुआ नगरपालिका)	638	77	715	16	4	20	0	0	0	654	81	735
37 (भगवानुपर)	285	21	306	16	2	18	0	0	0	301	23	324
38 (रामपुर)	134	9	143	11	1	12	0	0	0	145	10	155
39 (चैनपुर)	135	9	144	9	0	9	1	0	1	143	9	152
40 (अधौरा)	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
41 (चाँद)	221	14	235	3	0	3	1	0	1	223	14	237
कुल योगः–	4233	318	4551	235	21	256	11	1	12	4457	338	4795